अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2018 (RCMS 2018/00204) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 से सात बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने उन्हें बिन्दुवार सूचनाएं निर्धारित अवधि में नहीं दी गई है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करावने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/– शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा सात बिन्दुओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा उन्हें बिन्दुवार उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 06.08.2018 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी का नाम व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. तत्कालीन उपपंजीयक, श्रीगंगानगर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई जिस अवधि से जिस अवधि तक उपपंजीयक, श्रीगंगानगर में पदस्थापित रही है उस अवधि की सूचना व पद स्थापित की प्रमाणित प्रति।
4. श्रीमती गंगा देवी द्वारा उपपंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में दिनांक 16.01.86 को राधेश्याम गोयल के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 11.04.2000 को निरस्त करने करने हेतु मोनिका देवी द्वारा उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत की थी इस बाबत सूचना।
5. पंजीयन कार्यालय में एक बार दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने व पंजीबद्ध होने के उपरान्त उसमें परिवर्तन व संशोधन होने जो नियम दिये गये है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
6. उपपंजीयक सुमित्रा बिश्नोई द्वारा अपने पत्रांक 696 दिनांक 26.06.2018 में लिपिकिय त्रुटि के कारण सहवन शब्द का उपयोग किया गया है यह सहवन अधिनियम की धारा के अन्तर्गत किया गया है उस अधिनियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. उप पंजीयक य पंजीयन अधिकारी द्वारा Supplementary Document जिस अवस्था मे उपयोग में लाया जाता है उस नियम व अवस्था में उपयोग में लाया जाताह है उस नियम व अवस्था की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में **उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 934—35 दिनांक 22.11.18 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :**

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है :

1. पत्रांक 06.08.2018 श्रीमान् उप महानिरीक्षक महोदय, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ के पत्रांक 2005 दिनांक 27.08.2018 द्वारा दिनांक 28.08.2018 को प्राप्त हुआ जो क्रमांक 78/28.08.2018 पर दर्ज है।

2 पत्र पर कार्यवाही उप पंजीयक श्री सुरेन्द पारीक व मंजीत सिंह संविदा कर्मचारी द्वारा दी गई।

3. तत्कालिक उप पंजीयक श्रीमती सुमित्रा बिश्नाई दिनांक 06.10.2017 से 30.08.2018 तक पदस्थापित रही।

5 व 7 सर्कुलर की प्रति संलग्न है।

4 व 6 दिनांक 11.04.2000 को कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर श्रीमति गंगा देवी पत्नी भगवानदास जाति अग्रवाल साकिन 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर द्वारा दस्तावेज वसीयतनाम केंसिल हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिसमें बतौर गवाह श्रीमति मोनिका पत्नी श्री सुभाष गोयल व राजेश पुत्र श्री रामकुमार साकिन 23 के ब्लॉक द्वारा गवाही की गई। वर्ष 2000 में दस्तावेजों पर पंजीयन कार्य हस्तलिखित किया जाता था। निरस्त वसीयत की मूलप्रति श्रीमती गंगा देवी पत्नी भगवानादास द्वारा अंगूठा निशान किये गये।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय प्रति पर लिपिकिय भूल हो जाने के कारण सहवन से गंगा देवी के स्थान पर मोनिका देवी का नाम अंकित हो गया जबकि उम्र, पत्नी, स्थान गंगा देवी का है। वस्तुस्थिति यह है कि शिकायकर्त्ता द्वारा पंजीबद्ध वसीयत केंसिल के संबंधि में बिना किसी औचित्य के बार–बार एक ही बिन्दु पर सूचना मांगना व उसकी अपील करना आदत है जो कि सभी सूचना के संबंध में सभी तथ्य पूर्व में उपलब्ध करवाये जा चुके है। निष्पादनकर्त्ता द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए भी अंगूठा रजिस्टर की प्रति चाही गयी जो कि दिनांक 25.06.2018 को उपलब्ध करवा दी गयी थी जिससे शिकायतकर्त्ता को पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है कि प्रस्तुतिकरण के वक्त श्रीमती गंगा देवी उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत हुई एवं दस्तावेज का निष्पादन स्वीकार किया। शिकायतकर्त्ता द्वारा पूर्व में भी श्रीमान उच्चाधिकारियों एवं सूचना आयोग व राजस्थान सम्पर्क में शिकायत दर्ज करवाई गयी थी जिनका सभी स्तर पर निस्तारण किया जा चुका है। अतः निवेदन है कि शिकायत दाखिल दफ्तर करने की कृपा फरमावें।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी यदि उप पंजीयक द्वारा दी गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो नियमानुसार सम्बन्धित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर